राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(51) परि/नियम/मु./2010/7911 जयपुर,दिनांकः 13.04.2018

कार्यालय आदेश ....11..../2018

मोटर ड्राईविंग स्कूल नियंत्रण एवं विनियमन स्कीम "एम.डी.एस.आर.–2018"

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 24 से 31ए तक नवीन मोटर ड्राईविंग स्कूलों को मान्यता प्रदान किये जाने, लाईसेन्स जारी किये जाने एवं उनके विनियमन के प्रावधान दिये गये है। वर्तमान में राज्य में मोटर ड्राईविंग स्कूलों को लाईसेन्स प्रदान किये जाने के संबंध में समय–समय पर आदेश जारी किये गये है। मोटर ड्राइविंग स्कूलों की वाहन चालक लाइसेंस जारी करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। मोटर ड्राइविंग स्कूलों से यह भी अपेक्षा है कि वे वाहन चालन प्रशिक्षण में यथोचित गुणवत्ता भी सुनिश्चित करें। विभाग को समय–समय पर इन मोटर ड्राइविंग स्कूलों द्वारा की जा रही अनियमितताओं, विशेष कर बिना प्रशिक्षण के फॉर्म संख्या 5 में प्रमाण पत्र जारी करने, बिना सक्षम instructor के प्रशिक्षण देने, बिना प्रार्थी की उपस्थिति के लर्नर लाइसेंस जारी करने इत्यादि की शिकायतें प्राप्त होती रही है। मोटर ड्राइविंग स्कूलों के स्तर पर अनियमितताओं के परिणामस्वरूप वाहन चालक लाइसेंस जारी करने की गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होती है।

वाहन चालक लाईसेंस प्राप्त करने से पूर्व आवेदक को सर्वप्रथम लर्नर लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक को केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 11 में वर्णित प्राथमिक टेस्ट पास करना आवश्यक है, वहीं स्थाई लाईसेंस की प्राप्ति हेतु केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 15 में वर्णित driving test पास करना आवश्यक है। अतः लाइसेंस जारी करते समय केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 11 एवं 15 मे वर्णित परीक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना अतिआवश्यक है। वर्तमान मे लर्नर लाइसेंस या तो परिवहन कार्यालयों द्वारा अथवा विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2004 को जारी अधिसूचना सं. प. 7(51)परि/नियम/मु./पार्ट–2/5058 के तहत प्राधिकृत मोटर ड्राइविंग स्कूलों द्वारा जारी किये जाते है। जहां तक स्थाई लाइसेंस प्राप्त करने का प्रश्न है प्रायः यह देखा गया है कि चालक लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक मोटर ड्राइविंग स्कूलों से प्रशिक्षण प्राप्त करते है। परिवहन श्रेणी के वाहन का लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदक को मोटर ड्राईविंग स्कूल से न्यूनतम 30 दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है वहीं गैर परिवहन वाहनों हेतु न्यूनतम 21 दिवस के प्रशिक्षण का प्रावधान नियमों मे दिया गया है। दोनों ही परिस्थितियों में मोटर ड्राईविंग स्कूल के संचालक द्वारा प्रशिक्षणार्थी को फॉर्म संख्या 5 में प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना अनिवार्य है।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में मोटर ड्राइविंग स्कूल के परिसर के क्षेत्रफल, समुचित पार्किंग व्यवस्था, स्कूलों में प्रशिक्षण हेतु प्रयुक्त instruments की संख्या इत्यादि के संबंध में प्रावधान स्पष्ट नहीं है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मोटर यानों के चलाने की शिक्षा देने के लिए अधिकृत विद्यालयों या संस्थापनों जिन्हें Motor Driving Schools के नाम से जाना जाता है के विनियमन एवं नियंत्रण, उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 12 एवं केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 24 से 31A तक के प्रावधानों को लागू करने हेतु एक समग्र नीति का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। अतः इस संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में मोटर ड्राईविंग स्कूलों के संबंध में जारी समस्त आदेशों को प्रत्याहरित (withdraw) किया जाता हैं।

यह स्कीम मोटर ड्राईविंग स्कूलों/स्थापनों के विनियमन एवं नियंत्रण की स्कीम "**एम.डी.एस.आर. (Motor Driving School Regulation) स्कीम – 2018**" कहलायेगी, जो निम्नानुसार हैः–

मोटर ड्राईविंग स्कूलों/स्थापनों के विनियमन एवं नियंत्रण स्कीम (एम.डी.एस.आर.स्कीम) – 2018

1. **परिभाषाएंः** इस स्कीम मे जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–
   (1) **"अधिनियम"** से तात्पर्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 से है।
   (2) **"नियम"** से तात्पर्य केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 (यथा संदर्भित) से है।
   (3) **"मोटर ड्राईविंग स्कूल"** से तात्पर्य केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 24, 25 एवं 31A के तहत मोटर यानों के चालन में शिक्षण देने के कार्य हेतु अधिकृत स्कूल से है।
   (4) **"चालन प्रमाण पत्र"** से तात्पर्य केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के अधीन प्रारूप 5 में जारी चालन प्रमाण पत्र (driving certificate) से है।
   (5) **लर्निंग "अनुज्ञप्ति"** से तात्पर्य केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के अधीन प्रारूप–3 में जारी अनुज्ञप्ति (License) से है।
   (6) **"अनुज्ञप्ति अधिकारी"** से तात्पर्य केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 25 से 28 के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 2.1 मे अधिकृत अधिकारी से है। इस नियम के तहत वर्तमान मे संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनुज्ञप्ति अधिकारी नियुक्त है।
   (7) इस स्कीम में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये और मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) तथा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के वे ही अर्थ होंगे जो समय–समय पर यथा–संशोधित उस अधिनियम और नियमों में उन्हे दिये गये हैं।

2. **मोटर ड्राईविंग स्कूल का वर्गीकरणः**

मोटर ड्राईविंग स्कूल का वर्गीकरण चार श्रेणियों मे किया गया है। ये श्रेणियां क्रमशः 'ए', 'बी', 'सी' एवं 'डी' श्रेणी की होंगी जो निम्नानुसार होंगीः–

(1) 'ए' श्रेणी का स्कूल ऐसा स्कूल होगा जो केवल मोटर साईकिल के प्रशिक्षण के कार्य करने हेतु अधिकृत है।
(2) 'बी' श्रेणी का स्कूल ऐसा स्कूल होगा जो मोटर साईकिल एवं हल्के वाहनों के प्रशिक्षण के कार्य अथवा केवल हल्के वाहनों हेतु अधिकृत है।
(3) 'सी' श्रेणी का स्कूल ऐसा स्कूल होगा जो मोटर साईकिल, हल्के एवं भार वाहन अथवा हल्के एवं भार वाहन के प्रशिक्षण हेतु अधिकृत है।
(4) 'डी' श्रेणी का स्कूल ऐसा स्कूल होगा जो ऊपर वर्णित 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' श्रेणी के लिए अधिकृत है तथा जिसे विभाग द्वारा लर्नर लाईसेंस जारी करने हेतु अधिकृत किया गया हो।

प्रशिक्षण पार्ट –I

3. <u>मोटर ड्राईविंग स्कूल द्वारा दिये जाने वाला प्रशिक्षण :–</u>

प्रत्येक मोटर ड्राईविंग स्कूल द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यक रूप से अंतरंग (indoor) एवं बहिरंग (outdoor) प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रशिक्षण केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 31 में वर्णित पाठ्यक्रम के अनुरूप दिया जायेगा। जिनकी अवधि निम्नानुसार होगीः–

	अतरंग प्रशिक्षण	बहिरंग प्रशिक्षण
गैर –परिवहन	21 दिन	10 घंटे
परिवहन	30 दिन	15 घंटे

सभी ड्राईविंग स्कूलों को निम्न शर्तो की पालना आवश्यक होगीः–

(i) ड्राईविंग स्कूल के स्वामित्त्वाधीन प्रत्येक वाहन हेतु एक वाहन चालक होना आवश्यक है।

(ii) सभी वाहन (दुपहिया वाहन के अतिरिक्त) दोहरी नियन्त्रण प्रणाली से युक्त होंगे एवं जिला परिवहन अधिकारी द्वारा ऐसे वाहन को इस बाबत् एक प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा कि वाहन दोहरी (डबल) नियंत्रण प्रणाली से युक्त है। ऐसे वाहनों को प्रशिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्यों हेतु उपयोग मे नहीं लिया जायेगा।

(iii) वाहनों का पंजीयन परिवहन वाहन के रूप में किया जाना अनिवार्य होगा।

(iv) इन वाहनों को वैध दस्तावेज (परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र एवं कर चुकता प्रमाण पत्र) रखना अनिवार्य होगा।

(v) प्रशिक्षण हेतु प्रयुक्त वाहन निर्धारित मॉडल का होना आवश्यक होगा।

(vi) प्रत्येक हल्के मोटर यान से एक माह में अधिकतम 30 प्रशिक्षणार्थियों को एवं प्रत्येक भारी परिवहन यान से एक माह में अधिकतम 20 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

(vii)मोटर ड्राईविंग स्कूल में न्यूनतम कक्षों की संख्या एवं इनका क्षेत्रफल इस स्कीम मे वर्णित **परिशिष्ट–1** के अनुसार तथा अंतरंग प्रशिक्षण में सम्मिलित अनुदेश **परिशिष्ट–2** के अनुसार होंगे।

अंतरंग प्रशिक्षण (Indoor Training)

उक्त प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षणार्थियों को चालन के सिद्धांत (driving theory), ट्रैफिक शिक्षण (traffic education), ड्राईवरों के लिए सार्वजनिक सम्पर्क (public relations for drivers), आग संकट (fire hazards) वाहन अनुरक्षण (vehicle maintenance) तथा प्राथमिक चिकित्सा (first-aid) इत्यादि के संबंध में अनुदेश मोटर ड्राईविंग स्कूल हेतु अधिकृत इंस्ट्रक्टर जो केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 24(3)(viii) में वर्णित अहर्ताओं की पालना करता हो, द्वारा दिये जायेंगे।

(1) प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम उपकरण, मॉडल्स, चार्ट इत्यादि जो ड्राईविंग स्कूल में आवश्यक है

(i) ब्लैक बोर्ड।

(ii) आवश्यक संकेतों के साथ एक रोड प्लान बोर्ड।

(iii) ट्रैफिक साईन चार्ट।

(iv) ऑटोमेटिक सिगनल्स का चार्ट एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा हाथ से दिये जाने वाले सिगनल्स के चार्ट।

(v) मोटर यान के सभी कम्पोनेन्ट विवरण प्रदर्शित करने वाला सर्विस चार्ट।

(vi) मोटर वाहन के ईंजन, गीयर बॉक्स, ब्रेक शू, ब्रेक ड्रम आदि आवश्यक वाहन घटक जो इस प्रकार से प्रदर्शित किये गये हो कि इनकी कार्य प्रणाली का प्रायोगिक अध्ययन आसानी से बगैर खोले किया जा सके।

(vii) पंचर किट, टायर लीवर, व्हील ब्रेस, जैक व टायर प्रेशर गेज।

(viii) फिक्स स्पेनर, बॉक्स स्पेनर, स्क्रू ड्राईवर के एक एक सैट, प्लायर, हैमर आदि वर्कशॉप औजार।

(ix) ड्राईविंग इन्स्ट्रक्शन मैन्युअल।

(x) आवश्यकतानुसार कुर्सी, टेबिल, बैंच आदि फर्नीचर।

(xi) ऑटोमोबाईल मेकेनिज्म, ड्राईविंग, रोड सेफ्टी, रोड एण्ड ट्रेफिक रेगूलेशन, मोटर व्हीकल लॉ एवं अन्य संबंधित किताबों, अधिसूचनाओं, विभागीय परिपत्रों का अद्यतन संग्रह।

(xii) आपात काल हेतु पर्याप्त अग्निशमन, यन्त्र, फर्स्ट एड बॉक्स आदि व्यवस्था।

इस स्कीम के तहत स्थापित की जाने वाली मोटर ड्राईविंग स्कूलों में निम्न उपकरणों की सुनिश्चितता भी करनी आवश्यक है:–

(a) प्रत्येक मोटर ड्राईविंग स्कूल में न्यूनतम एक ड्राईवर ट्रेनिंग सिम्यूलेटर होना आवश्यक होगा। यह सिम्यूलेटर उस श्रेणी के वाहनों हेतु होना आवश्यक होगा जिस श्रेणी का लाईसेंस मोटर ड्राईविंग स्कूल द्वारा प्राप्त किया गया है। ड्राईविंग स्कूल में प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति को कम से कम 6 दिन में 3 घंटे की ट्रेनिंग सिम्यूलेटर पर दिया जाना अनिवार्य होगा।

(b) प्रत्येक स्कूल में एक स्केनर, थंब इंप्रेशन मशीन, इंटरनेट कनेक्शन एवं कम्प्यूटर मय प्रिंटर होना आवश्यक होगा।

(c) प्रत्येक स्कूल की अपनी एक ई–मेल आई.डी. होनी आवश्यक होगी जिसकी सूचना स्कूल को संबंधित लाईसेंसिंग अधिकारी एवं उस परिवहन जिले जिसमें स्कूल संचालित है, को दी जानी आवश्यक होगी।

(d) दुपहिया वाहनों को छोडकर शेष सभी श्रेणी के प्रशिक्षण वाहनों को उचित मानक के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) जो कि परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे, से सुसज्जित किया जावेगा तथा ऐसे वाहनो की tracking हेतु स्कूल संचालक द्वारा अपर परिवहन आयुक्त (नियम), लाइसेंसिग अधिकारी एवं संबंधित जिला परिवहन अधिकारी को login एवं password उपलब्ध करवाया जायेगा। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा समय समय पर मोटर ड्राईविंग स्कूल द्वारा दिये गये login एवं password का उपयोग कर प्रशिक्षण हेतु प्रयुक्त वाहन के संचालन की जांच की जायेगी।

(2) <u>ड्राईविंग स्कूल में कार्यरत अनुदेशक की शैक्षणिक योग्यता</u>:–

(i) शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम दसवीं पास।

(ii) प्रशिक्षक की आयु 65 वर्ष से अधिक नही होगी। प्रशिक्षक की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने पर नया प्रशिक्षक उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा।

(iii) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा या राजस्थान प्रावधायिक शिक्षा मण्डल जोधपुर द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक में प्रशिक्षण अथवा ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा की तकनीकी योग्यता अथवा इससे उच्चतर अर्हता।

(iv) मोटर वाहन अधिनियम की शिड्यूल में वर्णित यातायात चिन्हों का ओर धारा 118 के अधीन बनाये गये रोड रेगूलेशन का पूर्ण व अद्यतन ज्ञान।

(v) मोटर वाहन के विभिन्न संघटकों, कल–पुर्जों के कृत्यो व उनकी कार्य प्रणाली को स्पष्ट करने की पर्याप्त योग्यता।

(vi)अंग्रेजी अथवा हिन्दी व क्षेत्रीय भाषा का पूर्ण ज्ञान।

(vii) ड्राईविंग स्कूल के संचालक को समय–समय पर विभाग द्वारा निर्धारित संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं इस प्रशिक्षण मे होने वाले व्यय को ड्राईविंग स्कूल संचालक द्वारा वहन करना होगा।

बहिरंग (outdoor) प्रशिक्षण:–

मोटर ड्राइविंग स्कूल द्वारा अंतरंग प्रशिक्षण के साथ ही प्रशिक्षणार्थी को बहिरंग प्रशिक्षण भी दिया जाना अनिवार्य होगा। इस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को वाहन के वास्तविक चालन का अभ्यास (driving practice) दी जानी आवश्यक होगी। मोटर साईकिल को छोडकर शेष श्रेणी के वाहन जिन पर प्रशिक्षणार्थी को अभ्यास कराया जाना है, का दोहरी नियंत्रण प्रणाली युक्त होना आवश्यक होगा। गैर परिवहन श्रेणी के वाहनों के लिए न्यूनतम चालन अवधि 10 घण्टो से कम नहीं होगी, वही परिवहन यान के लिए यह अवधि 15 घण्टों से कम की नहीं होगी। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को अन्य प्रशिक्षण स्थल पर ड्राईविंग/चालन का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व सिम्युलेटर (simulator) पर प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक वाहन के लिये शर्तो के अनुरूप योग्यताधारी चालक की व्यवस्था करनी होगी।

(1) ड्राईविंग स्कूल में बहिरंग प्रशिक्षण हेतु नियुक्त वाहन चालक की शैक्षणिक योग्यता:–

(1) संबंधित श्रेणी की चालक लाईसेंस जो पांच वर्ष से अधिक पुराना हो।

(2) न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

(3) चरित्र प्रमाण पत्र।

(2) बहिरंग प्रशिक्षण में निम्न अनुदेश सम्मिलित होंगे जो **परिशिष्ट –3** पर संलग्न है।

पार्ट II (लाईसेंस)

4. नवीन मोटर ड्राईविंग स्कूल स्थापित करने हेतु आवेदन:–

(1) नवीन मोटर ड्राईविग स्कूल स्थापना करने हेतु आवेदक द्वारा संबधित अनुज्ञप्ति अधिकारी (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी) के समक्ष केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में निर्धारित प्रारूप 12 में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

(2) आवेदन पत्र के साथ केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 32 द्वारा निर्धारित शुल्क भुगतान की रसीद संलग्न की जावेगी।

5. लाईसेन्स जारी करने की प्रक्रिया :–

(1) आवेदक द्वारा मोटर ड्राईविंग स्कूल की नवीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने अथवा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन क्रमशः केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में वर्णित फॉर्म संख्या 12 एवं 13 में उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले, जिसमे स्कूल स्थित है के अनुज्ञापन प्राधिकारी को नियम 32 मे देय फीस के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा लाईसेंस जारी करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं मे वर्णित अपेक्षाओं की पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी:–

(i) मोटर ड्राईविंग स्कूल जिसके द्वारा अंतरंग एवं बहिरंग प्रशिक्षण दिया गया है, को इस बाबत् शपथ पत्र एवं फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करने होगें जो ये सुनिश्चित करें कि उसने स्कीम के प्रावधानों की पालना की है।

(ii) ड्राईविंग स्कूल संचालक, अंतरंग प्रशिक्षण के अनुदेशक एवं बहिरंग प्रशिक्षण के वाहन चालक का चरित्र उत्तम होना आवश्यक है इस बाबत् यथोचित संतुष्टि की जावेगी एवं किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र अथवा संबंधित पुलिस थाने से प्राप्त चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होंगी। संचालक, अनुदेशक एवं चालक हेतु शिक्षा संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iii) ड्राईविंग स्कूल संचालक की वित्तीय स्थिति, स्कूल के नियमित संचालन योग्य सुदृढ. होनी चाहिये, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संचालक के वित्तीय स्त्रोत स्कूल का अनुरक्षण बनाये रखने के लिए (sufficient to provide for its continued maintenance) पर्याप्त है। इस बाबत् मोटर ड्राईविंग स्कूल के संचालक द्वारा 'ए', 'बी', 'सी' एवं 'डी' श्रेणी के मोटर ड्राईविंग स्कूल हेतु क्रमशः 25000 रू, 50000 रू, 100000 रू. एवं 150000 रू. की धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन के साथ) संबंधित लाईसेसिंग अधिकारी को संलग्न करना होगा। पूर्व में स्थापित ऐसे ड्राईविंग स्कूल जिन्हें लर्निंग हेतु मान्यता है एवं ऐसे ड्राईविंग स्कूलों द्वारा लर्निंग अधिकार स्वीकृत किये जाते समय जो प्रतिभूति राशि पूर्व में ही जमा करायी जा चुकी है उसको इस वर्णित राशि में से कम करके प्रतिभूति राशि ली जावेगी। उक्त राशि मोटर ड्राईविंग स्कूल के संचालक को लाईसेंस अस्वीकृत होने पर लौटा दी जायेगी।

(iv) संचालक द्वारा स्वयं के नाम का बैंक अकांउन्ट होना आवश्यक होगा। इस संबंध में उसके द्वारा बैंक की पासबुक की प्रति उपलब्ध करवानी होगी।

(3) परिवहन श्रेणी के लाईसेंस के अतिरिक्त शेष श्रेणी के वाहनों के प्रशिक्षण हेतु लाईसेंस जारी करने से पूर्व लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा संबंधित जिला परिवहन अधिकारी से **परिशिष्ट–4** पर वर्णित जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा। यह लाईसेंस जिला परिवहन अधिकारी की स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त होने पर कि उक्त स्कूल नियम 24 एवं इस स्कीम मे वर्णित सभी अहर्ताओं की पालना करता है के पश्चात् जारी किया जायेगा। लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा स्वंय भी ऐसे स्कूल की जांच करनी होगी एवं लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा भी जांच प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा। परन्तु आवेदक द्वारा अगर परिवहन यान प्रशिक्षण के लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा स्वंय ही ऐसे स्कूल का निरीक्षण अधिकतम 60 दिवस में करना होगा एवं इस बाबत् पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर निरीक्षण के 7 दिवस में सही पाये जाने पर मोटर ड्राईविंग स्कूल को प्रारूप 11 में अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा लाईसेन्स जारी किया जावेगा।

(4) लाईसेंस की अवधि केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 25 में वर्णित अवधि जो वर्तमान में 5 वर्ष है (31A के तहत जारी लाईसेंसो को छोडकर) के लिए होगी परन्तु यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का मौका दिये बिना आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा एवं अस्वीकृति आदेश लिखित में कारण सहित जारी करना होगा।

6. <u>अस्थाई ड्राईविंग स्कूलो हेतु निर्देशः–</u> केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 31 (a) के तहत अस्थायी मोटर ड्राईविंग स्कूल को स्थापित करने का प्रावधान है। अस्थाई मोटर ड्राईविंग स्कूल हेतु लाईसेंसिंग अधिकारी के यहां आवेदन प्राप्त होने पर स्वंय लाईसेंसिग अधिकारी द्वारा जांच कर रिपोर्ट को परिवहन आयुक्त को प्रेषित करनी होगी। आवेदन के साथ उन सभी ऐसी परिस्थितियो का विस्तार से लिखित में उल्लेख करना होगा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उस स्थान पर केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 31 (a) के तहत मोटर ड्राईविंग स्कूल खोला जाना आवश्यक है। ऐसे स्कूल परिवहन आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किये जा सकेगें। अस्थायी मोटर ड्राईविंग स्कूल हेतु प्रतिभूति राशि 1,50,000 रूपये होगी।

7. <u>लाईसेंस का नवीनीकरण</u> :– अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा मोटर ड्राईविंग स्कूल के नवीनीकरण के संबंध में उन सभी अर्हताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी जिसका उल्लेख इस स्कीम में किया गया है एवं लाईसेंस नवीनीकरण हेतु केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 25 में वर्णित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

8. <u>लाईसेन्स की शर्ते</u> :– स्कीम में वर्णित 'ए', 'बी', 'सी' एवं 'डी' श्रेणी के ड्राईविंग स्कूलों हेतु common मापदण्ड एवं शर्ते निम्नानुसार होंगेः–

(1) मोटर ड्राईविंग स्कूल के संचालक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी।

(2) ड्राईविंग स्कूल परिसर संचालक स्वयं का या किराये या लीज पर लिया गया हो तथा परिसर अगर किराये/लीज पर लिया गया हो तो किरायानामा/लीज की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष होगी तथा संचालक द्वारा किरायानामा/लीज एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड (registered) करवाना अनिवार्य होगा। उक्त पंजीकृत दस्तावेज की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। संचालक द्वारा परिसर के स्वामी को किराये/लीज का भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा।

(3) सभी प्रशिक्षण वाहनों की पार्किंग व्यवस्था स्कूल परिसर के भीतर होगी अथवा संस्थान के परिसर के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर जो कि आवेदक की स्वंय की हो अथवा किराये/लीज पर ली गई हो, में की जावेगी जिसमे मोटर ड्राईविंग स्कूल के बहिरंग प्रशिक्षण हेतु अधिकृत वाहन एक साथ पार्क किये जा सकें। पार्किंग स्थल की दूरी स्कूल परिसर से एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं होगा। स्कूल के संचालक द्वारा इस परिसर के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज तथा अगर परिसर किराये/लीज पर लिया गया है तो किरायानामा/लीज करार की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यह किरायानामा/लीज न्यूनतम 3 वर्ष के लिये होगा। किरायेनामा/लीज में वर्णित किराये/लीज की राशि का भुगतान मोटर ड्राईविंग स्कूल के संचालक द्वारा चैक से परिसर के स्वामी को किया जाना आवश्यक होगा। उक्त दस्तावेज की प्रति मोटर ड्राईविंग स्कूल के आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

(4) समस्त प्रशिक्षण वाहनों पर स्कूल का नाम, पूरा पता, टेलीफोन न. पेन्ट द्वारा सुपाठ्य अक्षरों में लिखा गया हो।

(5) सभी वाहन (दुपहिया वाहन के अतिरिक्त) दोहरी नियन्त्रण प्रणाली से युक्त होंगे एवं जिला परिवहन अधिकारी द्वारा ऐसे वाहन को इस बाबत् एक प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा कि वाहन दोहरी (डबल) नियंत्रण प्रणाली से युक्त है। ऐसे वाहनों को प्रशिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्यों हेतु उपयोग मे नहीं लिया जायेगा। वाहनों का पंजीयन

परिवहन वाहन के रूप में किया जाना अनिवार्य होगा। इन वाहनों को वेध दस्तावेज (परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदुषण नियंत्रण प्रमाण. पत्र एवं कर चुकता प्रमाण पत्र) रखना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण हेतु प्रयुक्त वाहन निर्धारित मॉडल का होना आवश्यक होगा।

(6) अनुज्ञप्ति अधिकारी को लिखित अनुमति के बगैर प्रशिक्षण केन्द्र का स्थान परिवर्तन नहीं किया जायेगा। अगर मोटर ड्राईविंग स्कूल द्वारा स्थान परिवर्तन किया जाता है तो ऐसे स्कूल को वे सभी शर्ते पूर्ण करनी होगी जो नये मोटर ड्राईविंग स्कूल के लिये निर्धारित है।

(7) ड्राईविंगं स्कूल द्वारा प्रयुक्त जिन श्रेणी या श्रेणियों के वाहनों का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है उस श्रेणी/श्रेणियों के समस्त वाहन आवेदक के स्वंय अथवा ड्राईविंग स्कूल के नाम पंजीकृत होना आवश्यक है।

(8) नवीन मोटर ड्राईविंग स्कूल हेतु प्रशिक्षण केन्द्र जिला/प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के परिसर की परिधि से 1 कि.मी. की दूरी तक नहीं खोले जा सकेगें। प्रशिक्षण केन्द्र के प्रमुख स्थान पर अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा जारी लाईसेन्स प्रदर्शित किया जायेगा।

(9) ड्राईविंग प्रशिक्षण हेतु नियुक्ति किये गये अनुदेशक एवं बहिरंग प्रशिक्षण हेतु नियुक्त वाहन चालकों के नाम एवं पते प्रशिक्षण केन्द्र के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी।

(10) प्रशिक्षण कार्य में केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 31 द्वारा निर्धारित सिलेबस की पूर्ण पालना की जायेगी।

(11) ड्राईविंग स्कूल द्वारा वार्षिक आधार पर प्रारूप 14 में एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा एवं वर्षभर में प्रवेश दिये गये प्रशिक्षणार्थियों की सूची अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार संधारित की जायेगी।

(12) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के वास्तविक चालन घंटों का अभिलेख प्रारूप 15 में पृथक–पृथक संधारित किया जायेगा।

(13) सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रारूप 5 मे प्रमाण–पत्र विभाग द्वारा जारी स्टेशनरी पर दिया जायेगा। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने वाले एवं प्रशिक्षण अवधि से पूर्व ही प्रशिक्षण छोडने वाले व्यक्तियों की सूची प्रत्येक माह की 10 तारीख को संबंधित जिला परिवहन अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(14) स्कीम में वर्णित लाईसेंस की शर्तो के बिन्दु संख्या (13) की सूचना राज्य सरकार द्वारा इस हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रीति से online प्रस्तुत करनी होगी। राज्य सरकार द्वारा रीति के निर्धारण से पूर्व प्रत्येक मोटर ड्राईविंग स्कूल संचालक के लिए यह आवश्यक होगा कि वो मोटर ड्राईविंग स्कूल में जिन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु नामांकित कर रहा है उनका विवरण प्रतिमाह 10 तारीख से पूर्व ई–मेल के द्वारा लाईसेंसिंग अधिकारी एवं संबंधित जिला परिवहन अधिकारी को निम्न तालिका में भेजना सुनिश्चित करेंगें:–

क्र. सं.	प्रशिक्षणार्थी का नाम	प्रशिक्षण की अवधि		वाहन की श्रेणी	सफल/असफल	प्रशिक्षण अपूर्ण	जारी प्रमाण पत्र संख्या
		दिनांक से	दिनांक तक				

(15) अनुज्ञप्ति अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के चाहने पर उसके अवलोकन हेतु ड्राईविंग स्कूल संबंधी समस्त रिकॉर्ड, रजिस्टर आदि अविलम्ब उपलब्ध कराये जायेंगे।

(16) ड्राईविंग स्कूल में अन्य परिवहन जिले के प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा लेकिन यदि प्रशिक्षणार्थी के जिले में कोई ड्राईविंग स्कूल स्थापित नहीं है तो ऐसे प्रकरण में

उक्त शर्त में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। किन्तु ऐसे संस्थान जो सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित किये गये है, जिन्हें Institute for Drivers Training and Research (IDTR) के नाम से जाना जाता है अथवा ऐसे सभी संस्थान जो IDTR हेतु निर्धारित मानकों के समकक्ष मानकों की पालना करते है, अथवा ऐसी संस्था जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संस्थान के समतुल्य माना जाने वाले संस्थान को भी इस प्रावधान से छूट दी जा सकेगी।

(17) अनुज्ञप्ति अधिकारी एवं विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना की जायेगी।

(18) सड़क सुरक्षा कार्यक्रम हेतु सदैव तत्पर रहना एवं इस हेतु समग्र रूप से योगदान करना विशेष रूप से अपेक्षित होगा।

(19) परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सड़क सुरक्षा संबंधी फिल्म/डॉक्यूमेन्ट्री व अन्य प्रोग्राम का प्रदर्शन प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी हेतु किया जाना अनिवार्य होगा।

(20) प्रत्येक मोटर ड्राईविंग स्कूल का निरीक्षण वर्ष में न्यूनतम एक बार, संबंधित अनुज्ञप्ति अधिकारी, जो उस क्षेत्र का प्रादेशिक परिवहन अधिकारी है जिस क्षेत्र में ड्राईविंग स्कूल स्थापित है, के द्वारा अवश्य किया जावे। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से वर्ष में न्यूनतम 2 बार निरीक्षण किया जायेगा। यह निरीक्षण स्कीम में वर्णित **परिशिष्ट–4** में किया जाना है। ऐसे किये गये निरीक्षण के परिणाम से मुख्यालय को भी अवगत कराया जाना है।

(21) ड्राईविंग स्कूल संचालक द्वारा उसके अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों की सूची लाईसेंसिंग अधिकारी को उपलब्ध करवानी होगी।

(22) संचालक द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी जिसे मोटर वाहन का प्रशिक्षण दिया गया है से प्राप्त की गई फीस के संबंध में एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें प्रशिक्षणार्थी का नाम, पता, चालन प्रशिक्षण का विवरण एवं ली गई फीस का विवरण दर्ज किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण हेतु प्राप्त की गई फीस के संबंध में रसीद भी जारी की जायेगी।

(23) मोटर ड्राईविंग स्कूल द्वारा किसी व्यक्ति को इस प्रकार का आश्वासन अथवा आभास नहीं दिया जायेगा कि वो प्रशिक्षणार्थी को वाहन चालक लाईसेंस जारी करवाने हेतु सक्षम है अथवा ऐसा कोई प्रलोभन प्रशिक्षणार्थी को नहीं देगा जिससे यह इंगित होता हो कि वो प्रशिक्षणार्थी को वाहन चालक लाईसेंस जारी करने हेतु सक्षम है। यह प्रावधान 'डी' श्रेणी के मोटर ड्राईविंग स्कूलों पर लागू नहीं होगा ऐसा स्कूल प्रशिक्षणार्थी को केवल नियमानुसार लर्नर लाईसेंस ही जारी करेगा वंही स्थाई चालक लाईसेंस जारी करने संबंधी आश्वासन अथवा प्रलोभन उसके द्वारा प्रशिक्षणार्थी को नहीं दिया जायेगा।

(24) ड्राईविंग स्कूल हेतु स्कूल की श्रेणी के अनुसार आवश्यक पाठ्य सामग्री, किताबें एवं मैग्जीन आदि पृथक से लाईब्रेरी रूम या पारदर्शी अलमारी में इस प्रकार रखी जायेंगी कि प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध हो सकें।

(25) मोटर ड्राईविंग स्कूल द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को आवश्यक रूप से विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई यातायात पुस्तिका उपलब्ध करवानी आवश्यक होगी। यह पुस्तिका मोटर ड्राईविंग स्कूल के संचालक को संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी। इन पुस्तकों के शुल्क का भुगतान अग्रिम रूप से मोटर ड्राईविंग स्कूल के संचालक द्वारा संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी को किया जायेगा। मोटर ड्राईविंग स्कूल द्वारा प्रशिक्षणार्थी से इस पुस्तक के प्रेटे वो राशि वसूल की जायेगी जिस

दर पर मोटर ड्राईविंग स्कूल को उक्त पुस्तक विभाग द्वारा जारी की गई है। निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क की वसूली करने पर मोटर ड्राईविंग स्कूल को जारी लाईसेंस को निरस्त/निलंबित करने की कार्यवाही संबंधित लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

(26) डी श्रेणी के ड्राईविंग स्कूलो हेतु लर्निंग प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण उपरान्त परीक्षण हेतु एक टच स्क्रीन कियोस्क की व्यवस्था करनी होगी।

9. **लाईसेंस निलम्बित या निरस्त करने के लिए लाईसेंसिंग अधिकारी की शक्तिः–**

(1) यदि लाईसेंसिंग अधिकारी को जिसके द्वारा लाईसेंस जारी किया गया है, लाईसेंस के धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यह समाधान हो जाता है कि वह,

(क) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 24 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की अनुपालना करने में असफल रहा है, या

(ख) इस स्कीम में वर्णित किसी शर्त की अनुपालना करने में असफल रहा है, या

(ग) अनुदेश देने में केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 31 में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम का अनुपालना करने में असफल रहा है, या

(घ) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 27 के अथवा इस स्कीम में वर्णित किसी उपबन्ध की पालना नहीं करता है, तो वह अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से–

(i) सुनवायी का मौका देकर प्रथम बार निलम्बन करेगें

(ii) निरीक्षण में पायी गई कमियों जिनके कारण ड्राईविंग स्कूल का लाईसेंस निलंबित किया गया था 15 दिन की अवधि में संचालक कमी पूरी कर पुनः निरीक्षण हेतु आवेदन करता है एवं निरीक्षण में नियमों एवं स्कीम प्रावधानों की पूर्ण पालना पायी जाती है तो ऐसे स्कूल को पुनः निलंबन से बहाल कर सकेगें लेकिन इस प्रकार के निरीक्षण के दौरान भी कोई कमी पायी जाती है तो संबंधित ड्राईविंग स्कूल का लाईसेंस निरस्त कर दिया जाये।

(2) जहां लाईसेंस क्लोज (1) के अधीन निलम्बित या निरस्त किया जाता है वहां लाईसेंस उसके धारक द्वारा लाईसेंसिंग अधिकारी को समर्पित किया जायेगा एवं इस निलम्बन एवं निरस्त की अवधि में किसी प्रकार का प्रशिक्षण अथवा प्रमाण पत्र ड्राईविंग स्कूल द्वारा नहीं दिया जायेगा।

पार्ट–III

10. **योजना के प्रभावी होने से पूर्व कार्यरत मोटर ड्राईविंग स्कूल हेतु योजना के तहत् आवेदन करने की प्रक्रिया, निरसन और व्यावृतियांः–**

मोटर ड्राईविंग स्कूल एम.डी.आर–2018 के प्रभावी होने के 6 माह की अवधि तक विभाग द्वारा पूर्व में अधिकृत मोटर ड्राईविंग स्कूलों को जारी लाईसेंस वैध होगा। परन्तु ऐसे प्रत्येक स्कूल को इस 6 माह की अवधि में संबंधित लाईसेंसिंग अधिकारी के समक्ष लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इस अवधि के पश्चात् ऐसे मोटर ड्राईविंग स्कूल को पूर्व में जारी लाईसेंस क्लोज 10 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा निरस्त किया जायेगा तथा स्कूल को जारी लाइसेंस संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना होगा। निर्धारित 6 माह की अवधि के पश्चात् अगर ऐसा मोटर ड्राईविंग स्कूल आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसको आवेदन पत्र नये स्कूल के लाइसेंस प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में वर्णित फार्म मे आवेदन प्रस्तुत करना होगा। लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा लाईसेंस में स्कूल की श्रेणी का अंकन किया जाकर मोटर ड्राईविंग स्कूल को लाईसेंस लौटाया जायेगा।

पार्ट–IV

11. डी श्रेणी के ड्राइविंग स्कूलो के लिये आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान निम्नानुसार हैः–

(1) लर्नर लाईसेंस जारी करने वाले स्कूलों द्वारा कम्प्यूटर, सिग्नेचर कैप्चर मशीन, एलसीडी एवं प्रोग्राम्स की सहायता से प्रशिक्षणार्थियों को ड्राईविंग रूल्स, रेगूलेशन, ट्रेफिक रूल्स व सड़क संबंधी अध्ययन कराया जावेगा, ताकि प्रशिक्षणार्थी दृश्य एवं श्रृव्य तकनीक से वाहन चालन, सड़क सुरक्षा संबधित तथ्यों एवं दुर्घटनाओं को कम करने के उपायों की विस्तृत एवं व्यवस्थित जानकारी प्राप्त कर बेहतर चालक बन सके।

(2) विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गई सड़क सुरक्षा, सड़क दुघर्टना एवं ड्राईविंग रेगूलेशन संबंधी डॉक्यूमेन्ट्री/लघु फिल्मों के प्रदर्शन से प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित करने बाबत् व्यवस्था करनी होगी।

(3) लर्नर लाईसेंस जारी करने वाले स्कूलों द्वारा सारथी 4.0 अथवा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये किसी अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा वहीं इस हेतु आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

(4) लर्नर लाईसेंस जारी करने वाले स्कूल द्वारा प्रशिक्षणार्थियों से लर्नर लाईसेंस की फीस ई–ग्रास के माध्यम से अथवा इंटरनेट बैंकिंग के उपयोग से संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में जमा करानी होगी तथा रसीद की प्रति भी प्रशिक्षणार्थी को दी जायेगी।

(5) जो प्रशिक्षणार्थी संबंधित ड्राईविंग स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करते है, ड्राईविंग स्कूलों द्वारा लर्निंग केवल उन्हीं को अपेक्षित परीक्षण में उत्तीर्ण होने पर जारी किया जा सकेगा। परीक्षण हेतु आवश्यक इलेक्ट्रोनिक उपकरण/कियोस्क रखना अनिवार्य होगा।

इस योजना को लागू होने में आ रही कठिनाईयों के निवारण के संबंध में समय समय पर परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव द्वारा जारी आदेश योजना के ही भाग होगें।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक : प 7(51) परि/नियम/मु./2010/ 791141 जयपुर, दिनांक 13/04/2018

प्रतिलिपिः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. समस्त प्रादेशिक /जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट अपडेट करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

13/4/18

जिला परिवहन अधिकारी (नियम)

परिशिष्ट–1

मोटर ड्राईविंग स्कूल हेतु न्यूनतम कक्षों की संख्या एवं क्षेत्रफल

कक्षों की न्यूनतम संख्या एवं इनका क्षेत्रफल	
1. स्वागत कक्ष कम कार्यालय कक्ष जिसमें इंटरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर मय प्रिन्टर इत्यादि।	सभी श्रेणी के स्कूलों में न्यूनतम 180 वर्ग फीट मय फर्नीचर
2. व्याख्यान कक्ष (न्यूनतम 20 व्यक्तियों हेतु)	'डी' श्रेणी के स्कूल के लिए न्यूनतम 350 वर्ग फीट वंही शेष सभी श्रेणी के स्कूलों में न्यूनतम 300 वर्ग फीट का क्षेत्रफल होना अनिवार्य होगा। इस कक्ष में न्यूनतम 20 प्रशिक्षणार्थियों के बैठने हेतु अपेक्षित फर्निचर रखना होगा।
3. मॉडल, चार्ट व उपकरण हेतु प्रदर्शन कक्ष	'ए'– 150 वर्ग फीट मय फर्नीचर 'बी'– 250 वर्ग फीट मय फर्नीचर 'सी'– 300 वर्ग फीट मय फर्नीचर 'डी'– 300 वर्ग फीट मय फर्नीचर

नोटः–प्रत्येक मोटर ड्राईविंग स्कूल हेतु कम से कम 3 कक्ष एवं उनकी श्रेणी ए, बी ,सी, डी के अनुसार क्रमशः कक्षों का कम से कम क्षेत्रफल 650, 750, 800 एवं 850 स्क्वायर फीट आवश्यक होगा।

(I) अंतरंग (indoor) प्रशिक्षणः–

अधिकृत इंस्ट्रक्टर द्वारा निम्नानुसार वर्णित विषयों की जानकारी प्रशिक्षार्थियों को दी जानी है:

(क) दुपहिया एवं हल्के श्रेणी के वाहनों के प्रशिक्षणार्थियों को दिये जाने वाले अनुदेश

(1) ट्रेफिक/यातायात शिक्षण (Driving Theory) भाग–I

(i) **अपने वाहन को जानिएः** ऑटोमोबाईल इंजन और उसकी कार्यप्रणाली के लिए साधारण अनुदेश।

(ii) **वाहन नियंत्रणः** फुट कन्ट्रोल, फुट ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच, स्टीयरींग व्हील, हेंड ब्रेक, होर्न, लाईट, वाईपर, इग्नीशन स्वीच, स्टार्टर, डिपर, इंडीकेटर, रियर व्यू मिरर, गेज माप एवं विंड स्क्रीन संबंधी अनुदेश।

(iii) **ड्राईविंग पूर्व जांचः** चालक द्वारा ड्राईवर की सीट पर बैठने से पूर्व एवं बैठने के पश्चात बरती जाने वाली सावधानियां।

(iv) **ड्राईव शुरू करते समयः** चलने से पूर्व सावधानियां, चलते समय सावधानियां, बाईटिंग पोईंट, स्टीयरींग नियंत्रण, गियर बदलना, रोकना, ब्रेक लगाना, एक्सीलेटर का धीरे–धीरे/अचानक प्रयोग, ट्रेफिक सेंस, रोड सेंस, सडक प्रयोगताओं के अनुसार पार्किंग और पॉजिशनिंग एव रिवर्सिंग संबंधी जानकारी।

(v) **सडक पर ड्राईविंगः** पूर्वाभास, अन्य सडक प्रयोगताओं के अनुसार निर्णयन और रोड पॉजिशनिंग संबंधी अनुदेश।

(vi) **चौराहों पर ड्राईविंगः** मिरर सिग्नल और युक्ति चालन (Mirror Signal and Maneuvers) तथा पॉजिशन स्पीड देखना (Position Speed and Look) नजर का क्षेत्र संबंधी अनुदेश।

(vii) **युक्ति चालन (maneuvers):** मर्जिंग और डाईवर्जिंग, दांये–बायें, 3 पोईंट मोड, 5 पोईंट मोड यू टर्न, ओवर टेकिंग संबंधी अनुदेश।

(viii) **रिवर्सिंगः** दुपहिया वाहनों को छोडकर हल्के वाहनों के संबंध में चालक को बैठी स्थिति में रिवर्सिंग ढून्डना, स्पीड नियंत्रण, एस बेन्ड और आम गलतियों मे रिवर्स स्टियरिंग संबंधी अनुदेश।

(ix) **पार्किंगः** समानान्तर, कोणीय, लम्बीय पार्किंग, फेसींग अपहिल एवं फेसींग डाउनहिल पार्किंग संबंधी अनुदेश।

(x) **मार्ग पर चालक की जिम्मेदारीः** ड्राईविंग व्यवहार, अन्य सडक प्रयोगताओं के लिए विनम्रता ओर प्रतिस्पर्धापन, अति आश्वस्त, अधीरता और रक्षात्मक ड्राईविंग, रेलवे क्रॉसिंग पर ड्राईविंग करते समय कारों के बीच दूरी एवं बरती जाने वाली सावधानियों संबंधी अनुदेश।

(xi) **कुछ वाहनों के लिए अग्रता (priority):** आपातकालीन वाहन, फायर ब्रिगेड एवं एम्बूलेंस को अग्रता देने संबंधी जानकारी।

(2) ट्रेफिक / यातायात शिक्षण भाग – I (Traffic Education - I)

(i) **ड्राइविंग विनियमः** मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 118 के अधीन बने सड़क प्रयोग विनियम।

(ii) **हैंड सिग्नल।**

(iii) **ट्रैफिक चिन्ह** – मोटर यान अधिनियम, 1988 में वर्णित प्रथम अनुसूची में वर्णित ट्रैफिक चिन्हों की जानकारी।

(iv) ट्रैफिक कॉन्सटेबल, ट्रैफिक वार्डन द्वारा दिये जाने वाले हैंड सिग्नल की जानकारी।

(v) ऑटोमैटिक लाइट सिग्नल का परिचय।

(vi) रोड मार्किंग्स का परिचय।

(vii) राजमार्गों और नगर मार्गों पर स्पीड विनियम की जानकारी।

(viii) आपत्तिजनक स्थलों पर पार्किंग की जानकारी।

(ix) **मोटर यान अधिनियम, 1988 के कुछ महत्वपूर्ण उपबन्ध :** मोटर यान अधिनियम, 1988 की धरा 122, 123, 125, 126 तथा 128 की जानकारी।

(x) **ड्राइव करने के लिए सक्षमता टैस्टः** केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 15 का उपनियम (3) मे वर्णित टेस्ट की जानकारी।

(3) ट्रेफिक / यातायात शिक्षण भाग–II (traffic Education - II)

(i) **अपने मार्ग की जानकारीः** कार्यात्मक वर्गीकरण, डिजाइन स्पीड, मार्ग ज्यामिती, सर्फेस टाइप्स एण्ड करेक्टरीस्ट्रिक्स, ढाल और ऊंचाई।

(ii) **स्थलीय दूरीः** झुकावों पर, चौराहों पर।

(iii) **मार्ग–संयोजनः** नियम एवं प्रकार, टी–संयोजन, वाई–संयोजन, चार लेन वाले संयोजन, फैले हुए (झटके हुए) संयोजन, नियंत्रित संयोजन, अनियंत्रित संयोजन।

(iv) **ट्रेफिक द्वीपः** चक्करदार मार्गों के प्रकार, माध्यम।

(v) **बाईपास, सब–वे, ओवर–ब्रिज–तथा फ्लाईओवरः** उद्देश्य, ड्राइविंग प्रक्रिया।

(vi) **बस स्टाप, बस टर्मिनल–बस स्टैण्डः** प्रवेश–निकास तरीका।

(vii) **मार्ग सीमांकनः** सफेद लाइन, लगातार और टूटी हुई, पीली लाइन, लाइन सीमांकन, जेबरा क्रासिंग, स्टाप लाइन, पार्किंग सीमांकन, मार्ग सिग्नलों की दशा।

(viii) लेन का चुनाव और लेन अनुशासन।

(ix) स्वचालित लाइट सिग्नल।

(x) **मार्ग उपयोक्ता विशेषतासूचक** – पैदल, शराब पिए हुए, बच्चे और अंधे, बहरे और गूंगे जवान, वृद्ध, बच्चों सहित स्त्रियों, धीमी गति के वाहन, मोपेड और मोटर साइकिल, ऑटो टेम्पो और वैनें, बसें और ट्रक, बी.आई.पी., एम्बूलेंस, आग–इंजिन, पशु।

(2) ट्रेफिक / यातायात शिक्षण भाग – I (Traffic Education - I)

(i) **ड्राइविंग विनियमः** मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 118 के अधीन बने सड़क प्रयोग विनियम।

(ii) **हैंड सिग्नल।**

(iii) **ट्रैफिक चिन्ह** – मोटर यान अधिनियम, 1988 में वर्णित प्रथम अनुसूची में वर्णित ट्रैफिक चिन्हों की जानकारी।

(iv) ट्रैफिक कॉन्सटेबल, ट्रैफिक वार्डन द्वारा दिये जाने वाले हैंड सिग्नल की जानकारी।

(v) ऑटोमैटिक लाइट सिग्नल का परिचय।

(vi) रोड मार्किंग्स का परिचय।

(vii) राजमार्गों और नगर मार्गों पर स्पीड विनियम की जानकारी।

(viii) आपत्तिजनक स्थलों पर पार्किंग की जानकारी।

(ix) **मोटर यान अधिनियम, 1988 के कुछ महत्वपूर्ण उपबन्ध :** मोटर यान अधिनियम, 1988 की धरा 122, 123, 125, 126 तथा 128 की जानकारी।

(x) **ड्राइव करने के लिए सक्षमता टैस्टः** केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 15 का उपनियम (3) मे वर्णित टेस्ट की जानकारी।

(3) ट्रेफिक / यातायात शिक्षण भाग–II (traffic Education - II)

(i) **अपने मार्ग की जानकारीः** कार्यात्मक वर्गीकरण, डिजाइन स्पीड, मार्ग ज्यामिती, सर्फेस टाइप्स एण्ड करेक्टरीस्ट्रिक्स, ढाल और ऊंचाई।

(ii) **स्थलीय दूरीः** झुकावों पर, चौराहों पर।

(iii) **मार्ग–संयोजनः** नियम एवं प्रकार, टी–संयोजन, वाई–संयोजन, चार लेन वाले संयोजन, फैले हुए (झटके हुए) संयोजन, नियंत्रित संयोजन, अनियंत्रित संयोजन।

(iv) **ट्रेफिक द्वीपः** चक्करदार मार्गों के प्रकार, माध्यम।

(v) **बाईपास, सब–वे, ओवर–ब्रिज–तथा फ्लाईओवरः** उद्देश्य, ड्राइविंग प्रक्रिया।

(vi) **बस स्टाप, बस टर्मिनल–बस स्टैण्डः** प्रवेश–निकास तरीका।

(vii) **मार्ग सीमांकनः** सफेद लाइन, लगातार और टूटी हुई, पीली लाइन, लाइन सीमांकन, जेबरा क्रासिंग, स्टाप लाइन, पार्किंग सीमांकन, मार्ग सिग्नलों की दशा।

(viii) लेन का चुनाव और लेन अनुशासन।

(ix) स्वचालित लाइट सिग्नल।

(x) **मार्ग उपयोक्ता विशेषतासूचक** – पैदल, शराब पिए हुए, बच्चे और अंधे, बहरे और गूंगे जवान, वृद्ध, बच्चों सहित स्त्रियों, धीमी गति के वाहन, मोपेड और मोटर साइकिल, ऑटो टेम्पो और वैनें, बसें और ट्रक, वी.आई.पी., एम्बूलेंस, आग–इंजिन, पशु।

(xi) **दुर्घटनायें–** दुर्घटनाओं के प्रकार, दुर्घटनाओं के कारण, बचाव के तरीके, दुर्घटनायें होने पर ड्राइवर के दायित्व और जिम्मेदारियां।

(xii) **मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 तथा राज्य मोटर यान नियम–** विभिन्न परिभाषाएं, ड्राइविंग लाइसेंस और उनका नवीकरण। ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनैस और बीमा, परमिट टैक्सेशन कार्ड अथवा परमिट टोकन का उठाना और जांच अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर ऐसे कागजात उपलब्ध कराना। ट्रैफिक अपराध और अधिनियमों व नियमों के अधीन निर्दिष्ट किये गये दण्ड। पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के सुसंगत उद्धरण। सिटी पुलिस अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता, 1960।

(xiii) **रिपोर्ट:–** अनुदेश के पश्चात् इन विषयों पर प्रशिक्षणार्थी के साथ विचार विमर्श।

(4) ड्राईवरों के लिए सार्वजनिक संपर्क (Public Relation for Driver):–

अन्य सडक प्रयोगताओं के साथ नैतिक एवं विनम्र व्यवहार के संबंध में प्राथमिक पहलुओं का ज्ञान।

(5) प्राथमिक चिकित्सा:–

प्राथमिक चिकित्सा का परिचय, प्राथमिक चिकित्सा की आउट लाइन (रूपरेखा), शरीर की संरचना और कार्य, ड्रेसिंग और पट्टी करना, रक्त–संचार, जख्म और रक्त स्त्राव, विशिष्ट क्षेत्रों में रक्त स्राव, आघात, श्वसन, हड्डियों की चोट, बर्निंग स्केल्स, अवचेतना (इंटरसिवीलिटी), जहर, प्रकीर्ण शर्तें। परन्तु जहां किसी प्रशिक्षणार्थी के पास जॉन एम्बूलेंस एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया प्राथमिक–सहायता का प्रमाण पत्र है तो ऐसे व्यक्ति के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं होगा।

(ख) परिवहन श्रेणी के वाहनों के प्रशिक्षणार्थियों को दिये जाने वाले अंतरंग प्रशिक्षण संबंधी अनुदेश:–

परिवहन श्रेणी के वाहन जिसमें मध्यम एवं भारी वाहनों के यात्री एवं भार वाहन सम्मिलित हैं के प्रशिक्षणार्थियों के लिए ऊपर वर्णित क्लोज संख्या 6(I)(क) में दिये गये अनुदेश के अतिरिक्त निम्न विषयों पर अंतरंग प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक होगा:–

(1) ट्रेफिक/यातायात शिक्षण (Driving Theory) भाग– II

(i) **अच्छे ड्राइवर के गुण:** धैर्य, उत्तरदायित्व–आत्मविश्वास, पूर्वाभास, एकाग्रचितता, विनम्रता, रक्षात्मक ड्राइविंग, सडक नियम, विनियमों का ज्ञान, वाहन नियन्त्रण का ज्ञान, अनुरक्षण एवं साधारण रचना।

(ii) **वाहन नियन्त्रण का ज्ञान:** प्रमुख नियन्त्रण, लघु नियन्त्रण।

(iii) **नियन्त्रण की प्रतिक्रिया:** एक्सीलेटर, ब्रेक, क्रामंक/अकस्मात्/अकस्मात् तीव्र क्लच।

(iv) **ड्राइविंग पूर्व जांच:** स्टीयरिंग (i) ड्राइवर सीट पर बैठने से पूर्व, और (ii) ड्राइवर सीट पर बैठने के पश्चात्।

(v) **स्टीयरिंग व्हील पकड़नाः** पुश एण्ड पुल मैथड प्रैक्टिस, आन दी मूव, गियर चैंज करते समय, मोडते समय, हार्न देते समय, डैश बोर्ड स्विच चलाते समय, सिग्नल देते समय, आपातकालीन स्थिति में।

(vi) **गियर बदलनाः** डबल डी–क्लचिंग महत्व और तरीका, सिंगल क्लचिंग, गियर अप तरीका, निचले गियर शिफ्ट करना, गियर डाउन तरीका, ऊपरले गियर को शिफ्ट करना।

(vii) **ड्राइविंग शुरू करनाः** 1. गियर, 2. गियर, 3. गियर, 4. गियर, 5. गियर, रिवर्स गियर्स, ओवर ड्राइव/आप्शनल।

(viii) एम.एस.एम. (Mirror Signal and Maneuvers) और पी.एस.एल. (Position Speed and Look) रूटीनज।

(ix) **युक्ति चालनः** पासिंग, मर्जिंग, डाइवर्जिंग, ओवर टेकिंग, क्रासिंग, टर्निंग, कार्नरिंग, पार्किंग।

(x) **स्टापिंगः** नार्मल स्टापिंग, आपात कालीन स्टापिंग, इंजिन ब्रेक/एग्जाहस्ट ब्रेक का प्रयोग।

(xi) **स्टापिंग डिस्टैंसः** रिएक्शन डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस।

(xii) **फॉलोइंग डिस्टैंसः** ब्रेकिंग डिस्टेंस, अर्थ, डिस्टेंस मैथड, कार लैग्थ मैथड, 2 सैकंड टाइमरूल मैथड।

(xiii) पहचान, भविष्यवाणी, निर्णय और अनुपालन (identification, prediction, decision and execution) नियम।

(xiv) **रक्षात्मक ड्राइविंग तकनीकः** निर्णय, पूर्वानुमान, निकलने का मार्ग।

(xv) **नाइट ड्राइविंगः** हैड लाइट स्विच की स्थिति, प्रक्रिया, लैम्पें जलाने का दायित्व, लैम्प जलाने पर प्रतिबन्ध।

(xvi) **हिल ड्राइविंगः** पहाडी में ड्राइविंग शुरू करते समय पार्किंग ब्रेक मैथड का प्रयोग, क्लच मैथड छोडना, ड्राइविंग दी अप–हिल, ड्राइविंग–इन डाउन–हिल।

(xvii) **आपात्कालीन युक्तिचालनः** इलाज से परहेज बेहतर है, स्किडिंग, हार्न स्टेक, फायर व्हील्ज कर्मिक हाउट, ब्रेक फैल होना, ब्रोकन स्टेव, एक्सल, फ्रन्ट टायर का बर्स्ट होना, स्टीयरिंग बाबलिंग, स्टीयरिंग लिकेजिज की स्नैपिंग, एक्सीलेटर पैडल का उछलना, क्लच राड की स्पैनिंग अयोग्य वाहन के साथ अचानक टक्कर की विशिष्ट स्थिति में, पहाडी उतरते समय ब्रेक फेल होने की स्थिति, यान के समक्ष अचानक रूकावट।

(xviii) **विशिष्ट स्थितियों में ड्राइविंगः** भीगे मौसम में, सांझ, धुधलके तथा धूल भरी सड़कों में ट्रेफिक में।

(xix) **टोविंग (ट्रैलर ड्राइविंग):** प्रक्रिया, टोव बोर्ड पर, नियंत्रण की स्पीड, रिवर्सिंग और वाहन को ट्रेलर के साथ पोजीशन करना।

(xx) ईंधन बचत के तरीके।

(xxi) **रिपोर्टः–** अनुदेश के पश्चात् इन विषयों पर प्रशिक्षणार्थी के साथ विचार विमर्श।

(2) वाहन अनुरक्षण (Vehicle Maintenance):–

(i) निकृष्ट और असावधान ड्राइविंग के कारण वाहन के हिस्सों (कलपुर्जों) को प्रभावित करने वाले तत्व।

(ii) सामान्य दैनिक अनुरक्षण और आवधिक अनुरक्षण।

(iii) बैट्री अनुरक्षण।

(iv) टायर अनुरक्षण और ट्यूब वल्केनाइजिंग।

(v) इंजिन ट्यून अप।

(vi) व्हील एलाइनमैंट जांच।

(vii) ब्रेक एडजस्टमैंट।

(viii) एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच–पैडल एडजेस्टमैंट।

(ix) फैन बेल्ट एडजेस्टमैंट।

(x) डैश बोर्ड मीटरों का अवलोकन।

(xi) लूबरीकेशन।

(xii) एयर लॉक और ऑयल ब्लाक को हटाना।

(xiii) **रिपोर्ट**:– अनुदेश के पश्चात् इन विषयों पर प्रशिक्षणार्थी के साथ विचार विमर्श।

(II) बहिरंग (outdoor) प्रशिक्षणः–

बहिरंग प्रशिक्षण में निम्न अनुदेश सम्मिलित होंगेः–

(क) दुपहिया एवं हल्के वाहनों के लिए चालन अभ्यास (Driving Practice)

(1) **वाहनों के विभिन्न भागों की पहचान।**
(2) **ड्राइविंग से पूर्व जांचः** (i) ड्राइवर सीट पर बैठने के पूर्व, और (ii) ड्राइवर सीट पर बैठने के पश्चात्
(3) **स्टीयरिंग प्रेक्टिसः** पुश एण्ड पुल मैथड।
(4) **बाइटिंग प्वाईन्ट।**
(5) **मूविंग एण्ड गियर चैंजिंग।**
(6) **स्टॉपिंगः** नार्मल स्टापिंग, आपातकालीन स्टापिंग।
(7) **सड़क पर ड्राइव करने के लिए मूल्यांकन एवं पूर्वाभास का विकास।**
(8) **रिवर्सिंग–** सीधे में, ''एस'' झुकाव (घुमाव) में।
(9) मोड़ना और पार्किंग।
(10) लाईसेंसिंग प्रक्रिया की जानकारी।

(ख) परिवहन श्रेणी के वाहनों के लिए चालन अभ्यास (Driving Practice)

(i) **विभिन्न उपकरणों का परिचयः** डायल गैजिंग और नियंत्रण।
(ii) **ड्राइविंग पूर्व जांच :** (i) ड्राइवर सीट पर बैठने से पूर्व, और (ii) ड्राइवर सीट पर बैठने के पश्चात्।
(iii) **ड्राइव शुरू करते समय :** बाइटिंग प्वाइंट मूविंग, डबल डीकल्च, स्टीयरिंग सहित गियर बदलना, स्टापिंग हैड सिग्नल।
(iv) **ग्रामीण मार्गो पर ड्राइविंग :** आई.बी.डी.ई. का प्रयोग नियम।
(v) **निर्णय का विकासः** पॉसिंग, ओवरटेकिंग मर्जिंग, डाइवर्जन एम.एस.एम. और पी.एम.एल. प्रैक्टिस के रूटीन तरीके रक्षात्मक ड्राइविंग तरीकों का सही पालन।
(vi) **पूर्वाभास का विकासः** मोडना, मिलना, चौराहों पर प्रवेश और मिलन, चुलान का लेन नियम, चौराहा अवलोकन।
(vii) भीड़ वाली गलियों में ड्राइव करने की निपुणता विकसित करना।
(viii) रात्रि ड्राइविंग।
(ix) आउटर कन्ट्री प्रेक्टिस और पहाड़ी ड्राइविंग।
(x) **आंतरिक ट्रैड टैस्टः** से तात्पर्य मोटर ड्राइविंग स्कूल द्वारा प्रशिक्षणार्थी का लिया गया ड्राइवर प्रदर्शन टेस्ट से है।
(xi) पीछे मोड़ना (रिवर्सिंग) और पार्किंग प्रेक्टिस।
(xii) लाइसेंसिंग संबंधी जानकारी।

परिशिष्ट–4

जांच प्रतिवेदन का प्रारूप

1. मोटर ड्राईविंग स्कूल का नाम व पता.....
.....
.....
2. निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद नाम.....
.....
3. निरीक्षण दिनांकः.....
4. मोटर ड्राईविंग स्कूल श्रेणीः–

ए.....
बी.....
सी.....

डी.....

5. मोटर ड्राईविंग स्कूल संचालक का नाम, पता एवं मोबाईल न.: .....
6. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण .....
7. मोटर ड्राईविंग स्कूल की ई–मेल आई.डी.....
8. मोटर ड्राईविंग स्कूल का परिसरः–

(a) परिसर स्वंय का है या किराये या लीज पर लिया गया है?.....
(दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)

(b) परिसर में पर्याप्त कक्षों की उपलब्धता है/नहीं है? इनकी परिमाप व स्थिति निम्नानुसार है:–

क्र. सं. (1)	कक्ष का प्रकार (2)	निरीक्षण के दौरान पाया गया क्षेत्रफल (लम्बाई x चौडाई) * (3)	निर्धारित माप के अनुसार है अथवा नहीं (हां/नही) अंकित किया जाना है। (4)	अन्य विवरण (5)
1	स्वागत कक्ष/कार्यालय			
2	व्याख्यान कक्ष			
3	चार्ट, मॉडलस् व उपकरण कक्ष			
4	अन्य कक्ष (अगर कोई हो तो)			
5	वाहनों की पार्किंग व्यवस्था			

* ऊपर वर्णित सारणी के कॉलम संख्या (2) में वर्णित आईटम का परिमाप सारणी में वर्णित कॉलम संख्या (3) में दिया जाना है जिसमें पृथक पृथक रूप से वास्तविक परिमाप का उल्लेख लंबाई x चौडाई मय कुल क्षेत्रफल के योग के निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया जाना है।

(c) स्कीम के प्रावधानों की पूर्ण पालना पाई गई :– हां/नहीं।

(d) वाहनों की पार्किंग हेतु व्यवस्था स्कूल परिसर में है:– हां/नहीं।

(e) यदि पार्किंग व्यवस्था परिसर मे नहीं है तो उसका स्वामित्व एवं अन्य विवरण (प्रमाण की प्रति संलग्न करें)।

नोट:– प्रत्येक कक्ष व पार्किंग व्यवस्था की फोटो संलग्न करें।

9. स्कूल संचालक की वित्तीय स्थिति, स्कूल के नियमित संचालन योग्य सुदृढ है।.....हां/नहीं (बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, ITR की छाया प्रति संलग्न करें)।

10. ड्राईविंग स्कूल संचालक एवं कार्यरत समस्त कर्मचारियों का चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न है..... .....हां/नहीं (इस बाबत संतुष्टि के प्रमाण संलग्न करें)।

11. **प्रशिक्षण वाहनों का विवरण**

क्र.	पंजीयन क्रमांक	वाहन/संस्था स्वामी का नाम पता	वैधता				
			परमिट	फिटनेस वेधता	बीमा	कर	दोहरी प्रणाली विवरण
1							
2							
3							

नोट :– 1. प्रत्येक वाहन के भिन्न भिन्न कोणों के फोटोग्राफ संलग्न करे,

2. अधिक वाहनों की स्थिति में अतिरिक्त पृष्ठ जोडे।

3. भारी एवं हल्के वाहन होने की स्थिति में GPS यंत्र का विवरण मय लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड।

12. वाहनों का उपयोग केवल मात्र प्रशिक्षण कार्य हेतु ही किया जाना प्रस्तावित है.....हां/नहीं

13. मोटर ड्राईविंग स्कूल हेतु निम्नांकित आवश्यक उपकरण उपलब्ध है:–

क्र.सं.	उपकरण	निर्माता कंपनी का नाम	बिल क्रमांक/संख्या	अन्य विवरण
1	ड्राईवर ट्रेनिंग सिम्यूलेटर			
2	कम्प्यूटर मय प्रिन्टर			
3	इंटरनेट कनेक्शन मय बिल			

ऐसे मोटर ड्राईविंग स्कूल जो लर्निंग लाईसेंस हेतु अधिकृत है, उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यक उपकरण:–

क्र.सं.	उपकरण	निर्माता कंपनी का नाम	बिल क्रमांक/संख्या	अन्य विवरण
1	टच स्क्रीन कियोस्क			
2	डेस्कटॉप, कम्प्यूटर मय प्रिंटर			
3	थंब इम्प्रेशन डिवाईस			
4	सिग्नेचर कैप्चर डिवाईस			

14. ड्राईविंग स्कूल में निम्नांकित उपकरण, मॉडलस्, चार्ट आदि उपलब्ध है:–

क्र.सं.	उपकरण, मॉडलस्, चार्ट	उपलब्धता
(i)	ब्लेक बोर्ड	हां/नही
(ii)	आवश्यक संकेतो के साथ एक रोड प्लान बोर्ड	हां/नहीं

(iii)	ट्रैफिक साईन चाट	हां/नहीं
(iv)	ऑटोमेटिक सिगनल्स का चार्ट एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा हाथ दिये जाने वाले सिग्नल्स के चार्ट।	हां/नहीं
(v)	मोटर यान के सभी कम्पोनेन्ट विवरण प्रदर्शित करने वाला सर्विस चार्ट।	हां/नहीं
(vi)	मोटर यान के ईंजन, गीयर बॉक्स , ब्रेक शू, ब्रेक ड्रम आदि आवश्यक घटक जो इस प्रकार से प्रदर्शित किये गये है कि इनकी कार्य प्रणाली का प्रायोगिक अध्ययन आसानी से बगैर खोले किया जा सके।	हां/नहीं
(vii)	पंचर किट, टायर लीवर, व्हील ब्रेस, जैक व टायर प्रेसर गेज।	हां/नही
(viii)	फिक्स स्पेनर, बॉक्स स्पेनर, स्क्रू स्पेनर, स्क्रू ड्राईवर के एक सैट,प्लायर, हैमर आदि औजार।	हां/नहीं
(ix)	ड्राईविंग इन्स्ट्रक्शन मैन्यूअल।	हां/नही
(x)	पर्याप्त कुर्सी, टेबिल, बैंच व वर्क बैंच आदि फर्नीचर।	हां/नही
(xi)	ऑटोमोबाईल मेकेनिस्म, ड्राईविंग, रोड सेफ्टी, रोड एण्ड ट्रेफिक रेगूलेशन, मोटर व्हीकल लॉ एवं अन्य संबंधित किताबों, अधिसूचनाओं, विभागीय परिपत्रों का अद्यतन संग्रह।	हां/नही
(xii)	आपात काल हेतु पर्याप्त अग्निशमन यन्त्र, फर्स्ट एड बॉक्स आदि व्यवस्था।	हां/नहीं
(xiii)	प्रत्येक मोटर ड्राईविंग स्कूल में न्यूनतम एक ड्राईवर ट्रेनिंग सिम्यूलेटर लगा हुआ पाया गया (बिल की प्रति)	हां/नहीं
(xiv)	मोटर ड्राईविंग स्कूल में एक स्केनर, एक ई–मेल आई. डी., थंब इंप्रेशन मशीन, इंटरनेट कनेक्शन एवं कम्प्यूटर मय प्रिंटर लगा हुआ पाया गया (बिल की प्रति)	हां/नहीं
(xv)	मोटर ड्राईविंग स्कूल की अपनी एक ई–मेल आई.डी. विवरण	हां/नहीं
(xvi)	दुपहिया वाहनों को छोडकर शेष सभी श्रेणी के प्रशिक्षण वाहनों को उचित मानक के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लगा हुआ होकर कार्यरत होना पाया गया।	हां/नहीं
(xvii)	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) का login एवं password उपलब्ध करा दिया गया है	हां/नहीं

15. ड्राईविंग स्कूल अनुदेशक की शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार हैः–

(i) नाम व पता.....

(ii) शैक्षणिक योग्यता .....
(प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

(iii) तकनीकी योग्यता.....
(सर्टिफिकेट की प्रति)

(iv) चरित्र प्रमाण पत्र ..... (सर्टिफिकेट की प्रति)

(v) मोटर वाहन अधिनियम के शिड्यूल एवं धारा 118 के अन्तर्गत बनाये गये रोड रेग्यूलेशन का पूर्ण व अद्यतन ज्ञान।.....है/नहीं

(vi) मोटर वाहन के विभिन्न घटकों, कल–पुर्जो व उनकी कार्य प्रणाली को समझाने व स्पष्ट करने की पर्याप्त योग्यता।..... है/नहीं

(vii) हिन्दी व क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान सामान्य।..... है/नहीं

16. ड्राईविंग स्कूल में बहिरंग प्रशिक्षण हेतु नियुक्त चालक जिनके लाईसेंस पांच वर्ष से अधिक पुराने हैं की योग्यताएं निम्नानुसार हैः–

(i) नाम व पता.....

(ii) शैक्षणिक योग्यता ..... (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

(iii) चालन अनुभव..... (लाईसेंस की प्रति)

(iv) चरित्र प्रमाण पत्र ..... (सर्टिफिकेट की प्रति)

17. सभी प्रशिक्षण वाहनों पर स्कूल का नाम, पता, टेलीफोन नं. व ई–मेल का पता पेन्ट द्वारा सुपाठ्य अक्षरों में लिखा गया है?..... हां/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (मोटर ड्राईविंग स्कूल का नाम) का निरीक्षण संचालक की उपस्थिति में हमारे द्वारा किया गया है। निरीक्षण मे मोटर ड्राईविंग स्कूल स्कीम–2017, केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों की पूर्ण पालना पाई जाने के कारण नवीन स्थापना/नवीनीकरण की अनुशंसा की जाती है।

मै निरीक्षण से सहमत हूँ।

हस्ताक्षर

(संचालक)
मोटर ड्राईविंग स्कूल

हस्ताक्षर

जिला परिवहन अधिकारी

हस्ताक्षर

परिवहन निरीक्षक

हस्ताक्षर

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी